



कार्यालय पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन कमिश्नरेट वाराणसी

प्रेस नोट

दिनांक-21.08.2024

विषय:- “आपरेेशन कन्विकशन” के तहत प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप थाना कैंट मे आर्म्स एक्ट के मुकदमे से सम्बन्धित अभियुक्त को जेल में बितायी गयी अवधि, मा0 न्यायालय उठने तक की सजा एवं 1000/- रु0 अर्थदण्ड ।

थाना कैंट, कमिश्नरेट वाराणसी में पंजीकृत मु0अ0सं0-387/2005 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त बाबू खाँ कुरैशी पुत्र अमीन कुरैशी निवासी सैदपुर भीतरी थाना सैदपुर जनपद गाजीपुर को प्रभारी निरीक्षक कैंट व मॉनिटरिंग सेल वाराणसी की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप दिनांक-20.08.2024 को माननीय न्यायालय JM-II जनपद वाराणसी द्वारा दोषसिद्ध पाते हुए अभियुक्त बाबू खाँ कुरैशी उपरोक्त को अंतर्गत धारा 3/25 आर्म्स एक्ट मे जेल में बितायी गयी अवधि (25 दिवस), न्यायालय उठने तक की सजा एवं 1000/- रु0 के अर्थदण्ड से दंडित किया गया ।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त, वरुणा जोन
कमिश्नरेट वाराणसी।